Volume: 5 Issue: 1 Pages: 75-79

ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय उपलब्धता में "जीविका" कार्यक्रम की भूमिका: एक अनुभवजन्य अध्ययन

[*1] रूपेश कुमार एवं [2]डॉ. अनिल कुमार

[*1] शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग, भू० ना० मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, बिहार।

[2] वरीय सहायक प्राचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, भू० ना० मंडल विश्वविद्यालय पश्चिमी परिसर, पी० जी० सेन्टर सहरसा, बिहार।

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (QJIF): 8.4
Peer Reviewed Journal
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 16/Dec/2025
Accepted: 19/Jan/2026

***Corresponding Author**
रूपेश कुमार
शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग, भू० ना० मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, बिहार।

सारांश:
बिहार की आर्थिक संरचना मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। राज्य के अधिकांश कृषक लघु-सीमांत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकांश लोग गरीब एवं बेरोजगार हैं। इनके आय सीमित होने के कारण पर्याप्त बचत करने में असमर्थ रहते हैं। अतः ऐसी परिस्थिति के परिणामस्वरूप, कृषि एवं इससे जुड़े लोगों का निजी निवेश में संभावनाएँ सीमित हो जाती है, जिसके कारण निवेश करने के लिए वित्तीय स्रोत से ऋण प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। वित्तीय स्रोत दो तरह की होती है- संस्थागत एवं गैर-संस्थागत वित्तीय स्रोत। संस्थागत वित्तीय स्रोत, जो विभिन्न स्तर पर ऋण उपलब्ध कराती है, इनका संचालन सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) करती है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को ऋण लेने में बड़ी समस्या होती है, क्योंकि ये लोग सीमांत कृषक, मजदूर एवं गरीब होते हैं, जिसके कारण संस्थागत वित्तीय संस्थाओं की शर्तों को पूरी करने में सफल नहीं हो पाते, परिणामस्वरूप इसे संस्थागत वित्तीय स्रोतों से उचित मात्रा में लाभ नहीं मिल पाता है। दूसरी ओर, गैर-संस्थागत वित्तीय स्रोतों में महाजन, साहूकार, व्यापारी आदि जो ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रदान करते है। इससे ऋण लेना सरल होता है किंतु अधिक ब्याज दर एवं कठोर पुनर्भुगतान के कारण गरीब व्यक्ति ऋण में दब जाते हैं। जीविका परियोजना समान आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं को संगठित कर उन्हें सामूहिक बचत और ऋण प्रणाली के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाती है। जीविका स्वयं सहायता समूह के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 1% मासिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएँ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीविका द्वारा संगठित समूह एवं संस्थागत वित्तीय स्रोतों से ऋण प्राप्त कर रहीं हैं और ऐसी महिलाएँ गैर-संस्थागत स्रोतों के ऊँचे ब्याज दर वाले ऋण भार से काफी हद तक मुक्त होने के साथ-साथ आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रहीं है।

मुख्य शब्द: महिला, जीविका, स्वयं सहायता समूह, वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग जुड़ाव, बैंक लिंकेज, ऋण, NPA, आरंभिक पूँजीकरण निधि, खाद्य सुरक्षा निधि, स्वास्थ्य सुरक्षा निधि।

प्रस्तावना:

ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास में ऋण की उपलब्धता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि पूँजी के अभाव में आय से जुड़े कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर पाती है। लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को संस्थागत संस्था से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जिसके कारण महिलाओं को महाजन और निजी साहूकारों से ऊँचे ब्याज पर ऋण लेना पड़ता है, जिससे उनकी आय का बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में ही समाप्त हो जाता है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति में ठोस सुधार संभव नहीं हो पाता है। इस समस्या के समाधान के रूप में जीविका परियोजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के लिए ऋण की एक व्यवस्थित, अनुशासित और पारदर्शी व्यवस्था विकसित की गई है। जीविका के तहत नियमित बैठकों, नियमित बचत, आंतरिक ऋण वितरण, समय पर ऋण वापसी और लेखा-पुस्तकों के सही संधारण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऋण से जुड़ी प्रत्येक जानकारी-किस सदस्य ने कितना ऋण लिया, किस उद्देश्य से लिया, कितनी किस्त जमा हुई और कितना बकाया है। स्वयं सहायता समूह के बैठकों में ऋण संबंधी सभी विवरण साझा किया जाता है, जिससे ऋण व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता बनी रहती है। वहीं बैंक से प्राप्त ऋण, जमा, निकासी और स्वीकृत ऋण की जानकारी भी सभी सदस्यों के समक्ष सामुदायिक समन्वयक (CM) के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जिससे स्वयं सहायता समूह और बैंक के बीच विश्वासपूर्ण वित्तीय

संबंध स्थापित होता है। साथ ही सामुदायिक समन्वयक (CM) के द्वारा वित्तीय लेन-देन एवं अन्य आवश्यक विवरण पढ़कर सुनाया जाता है, इससे ऋण प्रणाली और अधिक पारदर्शी बनता है। इस पूरी ऋण व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं ने छोटे व्यवसाय, कृषि एवं उससे जुड़े कार्यों तथा अन्य आय-सृजन गतिविधियों में निवेश करते है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है, परिणास्वरूप महाजन के शोषणकारी ऋण से काफी हद तक छुटकारा पाई है। साथ ही, समय पर ऋण चुकाने की आदत विकसित होने से महिलाओं की वित्तीय समझ, जिम्मेदारी और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है।(समूह के बैठक और जीविका समाचार पत्रिका, 2023)

अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जीविका परियोजना के माध्यम से सौर बाजार प्रखंड की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है –

i) यह जानना की जीविका महिलाओं को किस प्रकार का ऋण देती है और उन्हें ऋण प्राप्त करने में कैसे मदद करती है।
ii) यह समझना कि SHG, VO और CLF मिलकर ऋण देने और ऋण वापसी कराने का काम कैसे करती हैं।
iii) बैंक के द्वारा आसानी से ऋण दिलाने में जीविका की क्या भूमिका है, इसका अध्ययन करना।
iv) यह देखना कि जीविका के कारण महिलाओं में, गैर-संस्थागत संस्था से लिए जाने वाले महँगे ब्याज दर वाले ऋण पर निर्भरता कम हुई है।
v) यह समझना कि समूह आधारित गारंटी (Group Guarantee) महिलाओं को बिना किसी गारंटी के संस्थागत संस्थाओं से ऋण दिलाने में किस प्रकार मदद करती है।

परिकल्पना

अध्ययन की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाएँ लिए गए हैं, जो निम्न हैं-

1. जीविका के माध्यम से मिला ऋण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को पहले से बेहतर बनाती है।
2. SHG, VO एवं CLF कि तीन स्तरीय व्यवस्था ऋण देने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाती है।
3. जीविका की मदद से महिलाओं की बैंक तक पहुँच, पहले की तुलना में अधिक हुई है।
4. महिलाएँ जीविका से जुड़ने के बाद महँगे ब्याज दर वाले गैर-संस्थागत ऋण लेना कम कर रही है।
5. समूह गारंटी प्रणाली के कारण महिलाएँ बिना किसी गारंटी के बैंक से ऋण प्राप्त कर रही है।
6. जीविका के नियमित बैठक एवं स्वरोजगार के कारण महिलाएँ ऋण समय पर चुकाने में सक्षम होती है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन मुख्य रुप से प्राथमिक आकड़ों पर आधारित है, जिसका संग्रह अनुसूची के माध्यम से किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध विधि को अपनाया गया है। प्राथमिक जानकारी एकत्र करने के लिए जीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूहों के बैठकों मे उपस्थित सदस्यों से अनुसूची के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी पाप्त कर व प्रत्यक्ष अवलोकन से यह समझने का प्रयास किया गया है, कि जीविका ने उसकी वित्तीय उपलब्धता मे कैसे मदद करती है। शोध को अधिक विश्वसनीय और संतुलित बनाने के लिए आवश्यकतानुसार द्वितीयक आँकड़ों का भी सहारा लिया गया है, जिसके लिए बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (BRLPS) की अधिकारिक वेबसाइट तथा जीविका से प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों का उपयोग किया गया है।

साहित्य समीक्षा

महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और समग्र विकास से संबंधित क्षेत्र में अनेक शोध कार्य किए गए हैं। इन अध्ययनों से यह तथ्य सामने आता है कि उपर्युक्त नीतियों और योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। बिहार राज्य में संचालित जीविका परियोजना को ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण में एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा गया है, जिसपर विभिन्न अध्ययनों में प्रकाश डाला गया है।

रानी (2022) के अनुसार, जीविका के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के बाद महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार देखा गया है। स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को आपस में जोड़ने और संगठित करने का काम किया है, जिससे वे आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ सामाजिक मामलों में भी सक्रिय हो रहीं हैं। इन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि, जीविका कार्यक्रम के प्रभाव से महिलाएँ परिवार के निर्णयों में भाग लेने लगीं है, जिसके कारण उनके पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं।

सिंह (2020) द्वारा किए गए अध्ययन में जीविका परियोजना के प्रभावों का परीक्षण किया गया, जिसमें महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। शोध निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि इस कार्यक्रम से जुड़ने पर महिलाओं को आजीविका के अवसर प्राप्त हुए है और साथ ही उनकी शैक्षणिक समझ तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। अध्ययन में यह भी सामने आया कि समूह गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं में शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ी है, जिससे वे अपने जीवन और पारिवारिक मामलों से जुड़े निर्णय अधिक विवेकपूर्ण ढंग से ले रही है।

कुमार (2019) द्वारा किए गए शोध में बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका परियोजना के प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के बाद महिलाओं की आय में बढ़ोतरी हुई और समाज में उनकी भागीदारी पहले की तुलना में अधिक सक्रिय हुई है। शोधकर्ता के अनुसार, जीविका परियोजना ने महिलाओं को केवल आर्थिक रूप से ही मजबूत नहीं बनाया, बल्कि उनके सामाजिक स्तर और राजनीतिक प्रभाव में भी वृद्धि किया है।

सिंह रजनी रंजन (2007) ने अपने अध्ययन में बताया है कि आत्मनिर्भर महिलाएँ अपने परिवार और समाज दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके शोध के अनुसार, जब महिलाओं को आगे बढ़ने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने के अवसर मिलते हैं, तो वे सामाजिक और आर्थिक कार्यों में अधिक सक्रिय भागीदारी कर पाती हैं। इसलिए महिलाओं की आत्मनिर्भरता और योग्यता को बढ़ावा देना आवश्यक माना गया है।

उपर्युक्त साहित्य की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि जीविका परियोजना के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार, उनकी संगठित भागीदारी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता तथा पारिवारिक निर्णयों में उनकी भूमिका पर चर्चा की गई है। इन अध्ययनों में यह भी बताया गया है कि जीविका से जुड़ने के बाद महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है और वे सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय हुईं है। बल्कि, उपर्युक्त विद्वानों द्वारा किए गए अध्ययनों में महिलाओं की वित्तीय उपलब्धता के विशिष्ट पहलुओं पर अपेक्षित कम ध्यान दिया गया है। विशेष रूप से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जीविका परियोजना के अंतर्गत महिलाओं को ऋण सुविधा, बैंकिंग ऋण, आंतरिक ऋण, बचत तक पहुँच तथा वित्तीय संसाधनों कि उपलब्धता किस तरह प्राप्त किया जाता है और इन सुविधाओं का उनके आर्थिक निर्णयों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, उपलब्ध साहित्य में जीविका परियोजना के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है, परंतु

महिलाओं की वित्तीय उपलब्धता के दृष्टिकोण से जीविका परियोजना के योगदान पर केंद्रित अध्ययन का अभाव दिखाई देता है।

ऋण बैंक क्रेडिट लिंकेज और पुनर्भुगतान

स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में बैंक क्रेडिट लिंकेज एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। यह प्रणाली बैंकों और समूहों के बीच एक नियमित और पारदर्शी ऋण व्यवस्था विकसित करती है, जिसके आधार पर समूह अपनी बचत गतिविधियों और अनुशासन के अनुरूप ऋण प्राप्त करते हैं। जीविका के अंतर्गत समूहों को चरणबद्ध तरीके से ऋण दिया जाता है– पहले चरण में सामान्यतः 50 हजार से 1.5 लाख तक दूसरे चरण में लगभग 3 लाख, तीसरे चरण में 5 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही इसी तरह ऋण का राशि बढ़ती जाती है। इन ऋणों का उपयोग महिलाएँ कृषि, पशुपालन, लघु व्यवसाय आदि आय वृद्धि से जुड़ी गतिविधियों में करती है। ऋण लेने के बाद समय पर पुनर्भुगतान करना समूह की मुख्य जिम्मेदारी होती है। बैंक क्रेडिट लिंकेज मॉडल में नियमित बचत, बैठकें, लेन–देन कि पारदर्शिता तथा सामूहिक निर्णय–प्रक्रिया को विशेष महत्त्व दिया जाता है, जिससे समूहो में आर्थिक अनुशासन विकसित होता है और वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय सेवाओं का उचित लाभ उठा पाते हैं। (बिहार सरकार, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, n.d, जीविका उड़ान, मधेपुरा जिला में जीविका के बढ़ते कदम) ऋण पुनर्भुगतान प्रणाली बैंक क्रेडिट लिंकेज का मूल्य आधार है, क्योंकि यदि समूह समय पर ऋण जमा नहीं करते है, तो समूहों पर बैंकिंग संस्थाओं का भरोसा कम हो जाता है, साथ ही आगामी चरण में ऋण मिलने की संभावना घट जाती है। जीविका द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण समूहों में आर्थिक अनुशासन, पारदर्शी लेन–देन और जिम्मेदारीपूर्ण वित्तीय व्यवहार को सुदृढ़ करती हैं। 'जीविका मॉडल में ज्वाइंट लाइबिलिटी' की व्यवस्था लागू होती है, जिसके अंतर्गत यदि किसी सदस्य द्वारा ऋण वापसी नहीं होती है, तो स्वयं सहायता समूह सामूहिक रूप से जिम्मेदार माना जाता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सभी सदस्य समय पर किस्त भुगतान करें। यदि किसी कारणवश समूह समय पर ऋण चुकाने में असफल रहता है, तो बैंक इसे गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) की श्रेणी में दर्ज कर लेता है, जिससे समूह की आर्थिक साख प्रभावित होती है और भविष्य में ऋण प्राप्त करने मे कठिनाई होती है। इसलिए जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को इस प्रकार वित्तीय रूप से सक्षम बनाना है कि वे सतत् आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हुए, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आत्मनिर्भर बन सकें तथा बदलते आर्थिक परिवेश में भी अपनी आजीविका को सुरक्षित बनाए रखें।(बिहार सरकार, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, n.d, जीविका उड़ान, मधेपुरा जिला में जीविका के बढ़ते कदम)

जीविका डैसबोर्ड के अनुसार सौर बाजार प्रखंड में कुल 3183 स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें से 3173 समूह के पास बैंक खाता है जो लगभग 99.69% है, जबकि 10 समूह (0.31%) को बैंक खाता नहीं है। आजीविका के स्तर पर 15 कृषि उत्पादक समूहों में से 13 समूहों को बैंक खाता हैं, जो लगभग 86.67% है, जबकि 2 समूह (13.33%) के पास बैंक खाता नहीं हैं; 2 गैर-कृषि उत्पादक समूहों में से 1 को बैंक खाता है (50%), एवं 6 पशुधन उत्पादक समूहों में किसी के पास भी बैंक खाता नहीं है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूह (SHG) स्तर पर महिलाओं का बैंकिंग समावेशन मजबूत है, परंतु उत्पादक गतिविधियों—विशेषकर पशुधन और गैर-कृषि क्षेत्रों—में वित्तीय जुड़ाव अभी सीमित है।(BRLPS, MIS Report, dashboard)

जीविका स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वित्तीय उपलब्धता

जीविका के स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ऋण का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं होता, बल्कि महिलाओं के सामाजिक व्यवहार और आत्मविश्वास में भी बदलाव लाता है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के वित्तीय व्यवहार और ऋण उपयोग में सकारात्मक परिवर्तन आया है। समूहों के माध्यम से महिलाएँ आवश्यकता पड़ने पर आसानी से ऋण प्राप्त कर लेती है और समय पर भुगतान भी करती है। जिससे उनमें वित्तीय अनुशासन विकसित होता है। पहले महिलाएँ असंगठित संस्थाओ से ऋण लेती थी, जबकि अब स्वयं सहायता समूह उन्हें सुरक्षित सामूहिक और सुव्यवस्थित आर्थिक प्रक्रिया से जोड़ दिया है। नियमित बैठकें, संवाद और प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें ऋण की जिम्मेदारी, उपभोग और आय सृजन की समझ विकसित करती हैं। स्वयं सहायता समूह का संचालन ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ की निगरानी में होता है। इस पूरी प्रक्रिया ने महिलाओं को आर्थिक जागरूकता, आत्मविश्वास और परिवार की आय बढ़ाने की क्षमता को मजबूत किया है। (स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण पुस्तिका,2011)

आरंभिक पूँजीकरण निधि (ICF)

जीविका के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह को उनकी प्रारंभिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने एवं वित्तीय क्षमता को मजबूत बनाने के लिए आरंभिक पूँजीकरण निधि दी जाती हैं। यह निधि समूह गठन के बाद निर्धारित नियम और बैठक के माध्यम से स्वीकृत की जाती है, जहाँ स्वयं सहायता समूह की सक्रियता, आवश्यकता और वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। शुरुआत में आरंभिक पूँजीकरण निधि की राशि 30000 से 60000 रुपये तक दी जाती थी तथा परिक्रम निधि के रूप में 15000 रुपये की सहायता उपलब्ध रहती थी। वर्तमान में समूहों की बढ़ती आवश्यकता और कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए आरंभिक पूँजीकरण निधि 1 लाख रूपये तथा परिक्रम निधि 30 हजार कर दी गई है। यह वित्तीय सहयोग स्वयं सहायता समूह को बचत, ऋण संचालन और आय-सृजन गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित, नियमित और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।(स्वयं सहायता समूह के बैठक एवं बिहार सरकार, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समित, n. d, जीविका उड़ान, मधेपुरा जिला में जीविका के बढ़ते कदम) जीविका डैसबोर्ड के अनुसार सौर बाजार प्रखंड में कुल संकुल स्तरीय संघ की संख्या तीन है। तीनों संकुल स्तरीय संघ को कुल आरंभिक प्राप्त राशि 215512000 रूपया है, जिसमें 178206200 का वितरण किया गया। वहीं ग्राम संगठन की कुल संख्या 226 है, जिसमें 187 ग्राम संगठन को 26763827 आरंभिक पूँजीकरण निधि प्राप्त हुआ है एवं कुल 139 ग्राम संगठन ने 63606700 रुपया का वितरण किया। सौर बाज़ार प्रखंड में कुल 3183 स्वयं सहायता समूह में से 1389 स्वयं सहायता समूह को आरंभिक राशि के रूप में 63606700 रुपया प्राप्त हुआ। अतः इससे स्पष्ट होता है कि आधे से अधिक स्वयं सहायता समूह को आरंभिक पूँजीकरण निधि प्राप्त नहीं हुआ है।(BRLPS, MIS Report, dashboard)

खाद्य सुरक्षा निधि (FSF)

यह निधि ग्रामीण गरीब परिवारों को आकस्मिक खाद्य संकट की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई एक सामुदायिक सुरक्षा व्यवस्था है, जिसका संचालन जीविका द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार किया जाता है। इस निधि का लाभ तभी उपलब्ध होता है

जब स्वयं सहायता समूह नियमित बैठक, बचत, समय पर ऋण अदायगी तथा अन्य गतिविधियों में संतोषजनक प्रदर्शन करता है साथ ही उसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम 40% भागीदारी सुनिश्चित होती है। FSF से प्राप्त राशि परिवारों को तत्काल राहत देती है, परंतु इसकी शर्त यह है कि लिया गया सहयोग तीन महीने के भीतर किश्तों के आधार पर वापस किया जाय ताकि निधि लगातार सक्रिय रहे और अन्य जरूरतमंद परिवारों तक भी उसकी पहुँच बनी रहे। ग्राम संगठन स्थानीय आवश्यकताओं का आकलन कर इस निधि का पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करता है, जिससे महिलाओं में वित्तीय अनुशासन, सामुदायिक नेतृत्व, पारस्परिक सहयोग और खाद्य सुरक्षा से जुड़े निर्णयों में सहभागिता बढ़ती है। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा निधि न केवल संकट के समय भोजन संबंधी सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से जागरूक और संगठित बनाकर सामुदायिक विकास को भी सुदृढ़ करता है। (BRLPS, Jivika change Makers,2017)

जीविका डैसबोर्ड के अनुसार, सहरसा जिला में कुल 21,783 स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें से 9,625 समूह (लगभग 44.2%) को FSF के अंतर्गत ऋण राशि प्राप्त हुई, जबकि 12,158 समूह (लगभग 55.8%) ऋण सुविधा से वंचित रहे। साथ ही सौर बाज़ार प्रखंड में कुल 3,183 स्वयं सहायता समूह है, जिनमें से 1,486 समूह (लगभग 46.7%) को FSF ऋण मिला, जबकि 1,697 समूह (लगभग 53.3%) इससे वंचित रह गया। अतः इससे स्पष्ट होता है कि सौर बाज़ार में ऋण प्राप्त करने वाले समूहों का अनुपात सहरसा जिले से थोड़ा अधिक है, किंतु दोनों ही क्षेत्रों में अब भी बड़ी संख्या में समूह FSF के लाभ से बाहर हैं, जो महिलाएँ केंद्रित वित्तीय समावेशन को और विस्तार करने की आवश्यकता को दर्शाता है।(BRLPS, MIS Report, dashboard)

स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (HRF)

स्वास्थ्य और गरीबी के बीच मौजूद गहरे संबंध को ध्यान में रखते हुए जीविका द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा निधि की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को बीमारी के समय आर्थिक संकट से बचाना है। स्वास्थ्य किसी भी परिवार की प्रगति का आधार है इसलिए जीविका समुदाय स्तर पर महिलाओं को संगठित कर स्वास्थ्य जागरूकता, पोषण, मातृ-शिशु देखभाल, टीकाकरण तथा सामान्य रोगों की रोकथाम से संबंधित जानकारी नियमित रूप से प्रदान करती है। स्वास्थ्य सुरक्षा निधि एक ऐसी सामाजिक एवं सामुदायिक व्यवस्था है, जिसके तहत बीमारी की स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक गतिविधियाँ बाधित न हो और वे गरीबी रेखा से ऊपर उबरने में सक्षम बने रहे। इस प्रकार HRF ग्रामीण समुदाय को स्वास्थ्य सुरक्षित बनाते हुए उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।(BELPS, Jivika change Makers,2017) जीविका डैसबोर्ड के अनुसार सहरसा जिला में कुल 21,783 स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें से 3,729(17.22) समूहों को HRF निधि के अंतर्गत कुल 44102832 रुपया की राशि प्राप्त हुई, जबकि 82.88% समूह इस लाभ से वंचित रहे। इसी प्रकार सौर बाज़ार प्रखंड में कुल 3,183 समूहों में से 523(16.43) को 5759675 रुपया HRF सहायता मिली, जबकि 83.57% समूह इस लाभ से बाहर रहे। अतः इससे स्पष्ट होता है कि सहरसा एवं सौर बाज़ार में HRF निधि का कवरेज प्रतिशत लगभग समान है साथ ही बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह की महिला इस लाभ से वंचित हैं। HRF निधि के दायरे का विस्तार कर वंचित समूहों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाना चाहिए।(BRLPS, MIS Report, dashboard)

विश्लेषण एवं परिणाम

जीविका के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय उपलब्धता की पूरी प्रक्रिया स्वयं सहायता समूह (SHG) में नियमित बचत से प्रारंभ होती है। SHG से जुड़ी महिलाएँ प्रत्येक बैठक में अपनी क्षमता के अनुसार छोटी-छोटी राशि बचत के रूप में जमा करती हैं। यह बचत भले ही व्यक्तिगत स्तर पर कम प्रतीत होती हो, लेकिन सामूहिक रूप से यह एक मजबूत पूँजी का रूप ले लेती है। बचत के आधार पर समूह के भीतर आंतरिक ऋण की व्यवस्था तैयार होती है। आंतरिक ऋण व्यवस्था के माध्यम से घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण प्राप्त हो जाती हैं। सौर बाजार प्रखंड में कुल 3183 SHG में से 3173 समूहों के पास बैंक खाता है जो यह स्पष्ट करता है कि बचत के माध्यम से महिलाओं का बैंकिंग जुड़ाव लगभग पूर्ण है। SHG के माध्यम से बैंक क्रेडिट लिंकेज स्थापित होता है, जिसके तहत महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह ऋण समूह की सामूहिक जिम्मेदारी के आधार पर महिलाओं के नाम पर दिया जाता है, जिससे बैंक का विश्वास बना रहता है। बैंक से प्राप्त ऋण का उपयोग महिलाओं द्वारा कृषि, पशुपालन, छोटे-छोटे व्यवसाय, दुकानदारी तथा अन्य स्वरोजगार से जुड़ी गतिविधियों में किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की आय में वृद्धि होती है साथ ही उनकी आजीविका अधिक स्थिर होती है। आय में सुधार के साथ-साथ महिलाओं में समय पर ऋण चुकाने की आदत भी विकसित हुई है। SHG बैठकों में ऋण और किस्तों की नियमित समीक्षा की जाती है तथा सामूहिक निगरानी बनी रहती है। इस अनुशासित ऋण व्यवस्था का सीधा प्रभाव NPA की स्थिति पर दिखाई देता है, क्योंकि सौर बाजार प्रखंड में केवल 4 NPA खाते हैं, जो कुल खातों की तुलना में अत्यंत कम हैं। यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यहाँ महिलाओं द्वारा ऋण का उपयोग और उसकी वापसी अत्यंत जिम्मेदारी और वित्तीय अनुशासन के साथ हो रही है। सहरसा जिला की तुलना में सौर बाजार प्रखंड में महिलाओं का ऋण प्रबंधन अधिक सुदृढ़ है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि SHG आधारित बचत, सामूहिक उत्तरदायित्व और बैंक क्रेडिट लिंकेज की संयुक्त व्यवस्था ने महिलाओं को वित्तीय रूप से अधिक सक्षम, अनुशासित और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरंभिक पूंजीकरण निधि (ICF) का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को प्रारंभिक आर्थिक मजबूती प्रदान करना है, ताकि वे बचत और आंतरिक ऋण के साथ-साथ आजीविका से जुड़ी गतिविधियों की शुरुआत कर सकें। सौर बाजार प्रखंड में कुल 3183 SHG में से 1389 समूहों को ICF प्राप्त हुआ है, हालाँकि आधे से अधिक समूह अभी भी इस सुविधा से वंचित रहे है। खाद्य सुरक्षा निधि (FSF) के तहद, आकस्मिक खाद्य संकट की स्थिति में जीविका, स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ को तत्काल सहायता प्रदान किया जाता है, ताकि भोजन की आवश्यकता के लिए उन्हें साहूकारों से ऊँचे ब्याज पर ऋण ना लेना पड़े। सौर बाजार प्रखंड में 3183 SHG में से 1486 समूहों को FSF का लाभ मिला, जबकि 1697 समूह इस लाभ से वंचित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि FSF ने कई महिलाओं को संकट के समय राहत दी, परंतु इसका कवरेज अभी भी सीमित है। इसी तरह स्वास्थ्य जोखिम निधि (HRF) बीमारी जैसी आपात स्थिति में महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि बीमारी के इलाज में हो रहीं खर्च के कारण उनकी बचत और आजीविका प्रभावित न हो। सौर बाजार प्रखंड में केवल 523 SHG को HRF के अंतर्गत सहायता मिली है, जबकि अधिकांश समूह इस लाभ से वंचित रहे, जिससे यह स्पस्ट है कि स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से निपटने में यह निधि उपयोगी तो है, लेकिन इसका दायरा अभी काफी सीमित है। अत: सौर बाज़ार प्रखंड में जीविका के अंतर्गत SHG में बचत से शुरू होकर ICF, FSF और HRF तक की यह पूरी वित्तीय व्यवस्था ग्रामीण महिलाओं को साहूकारों के ऊँचे ब्याज वाले ऋण से बचाने, आय-सृजन को बढ़ाने और आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है।

निष्कर्ष:

सहरसा जिला के सौर बाजार प्रखंड में जीविका परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास में ऋण सुविधा की भूमिका महत्वपूर्ण है, जहाँ स्वयं सहायता समूह (SHG), ग्राम संगठन (VO) एवं संकुल स्तरीय संघ (CLF) की त्रि-स्तरीय संरचना के माध्यम से महिलाओं को नियमित, संस्थागत एवं सामूहिक ऋण से जोड़ा गया है। आरंभिक पूँजीकरण निधि (ICF) ने अनेक समूहों को आंतरिक उधारी, बैंक ऋण तथा आजीविका आधारित गतिविधियों को शुरु करने में मदद किया हैं, जिससे महिलाओं की बचत क्षमता, आय-सृजन और वित्तीय आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई हैं, लेकिन कुल समूहों की तुलना में आधे से अधिक समूह इस ऋण से वंचित हैं। खाद्य सुरक्षा निधि (FSF) और स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (HRF) के अंतर्गत ऋण सहायता सीमित समूहों तक ही पहुंच पायी हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि खाद्य आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य आपात स्थितियों से जुड़े ऋण का लाभ सभी महिला समूहों तक समान रूप से नहीं फैल सका है। इसके बावजूद बैंक लिंकेज, ऋण वितरण, समय पर पुनर्भुगतान और अत्यंत कम NPA की स्थिति यह दर्शाती है कि सौर बाजार प्रखंड की महिलाएँ ऋण के उपयोग और वापसी में उच्च वित्तीय अनुशासन का प्रदर्शन कर रही हैं। साथ ही जीविका की सहायता से गरीब महिलाओं को महाजनों के ऊंचे ब्याज दर वाले अनौपचारिक ऋण से काफी हद तक मुक्ति मिली है। अतः जीविका के अंतर्गत उपलब्ध ऋण सुविधाओं ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, जोखिम वहन क्षमता और निर्णय-सक्रियता को सुदृढ़ किया है।

हालाँकि जीविका परियोजना मैं अभी भी सीमित संसाधन, पूँजी की कमी एवं अन्य चुनोतियाँ हैं। ये चुनोतियाँ एवं सुझाव निम्नलिखित है-

1. कई बार ऋण राशि व्यवसाय की वास्तविक आवश्यकता से कम होने के कारण उद्यम विस्तार सीमित रह जाता है, इसलिए आवश्यकता अनुसार अधिक ऋण उपलब्ध कराना आवश्यक है।
2. बैंक लिंकेज एवं ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया धीमी होती है, जिससे समय पर पूँजी उपलब्ध नहीं हो पाती है, अतः बैंकिंग प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध करना आवश्यक है।
3. आरंभिक पूँजी निधि, खाद्य सुरक्षा निधि एवं स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के उपयोग की प्रक्रियाओं की स्पष्ट समझ की कमी के कारण समूह इन निधि का पूर्ण लाभ नहीं ले पाते है, इसलिए नियमित क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और स्पष्ट दिशा-निर्देश अनिवार्य है।
4. यदि समूह का कोई सदस्य ऋण लौटाने में लापरवाही करता है, तो पूरे समूह को नुकसान होता है, जिसके कारण बाकी सदस्य ऋण से वंचित रह जाते है, इसलिए समय पर भुगतान के लिए समूह में अनुशासन और नियमित निगरानी जरूरी है।
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं प्रधान परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, इसलिए इन्हें अतिरिक्त सहायता एवं प्रशिक्षण दिया जाए।
6. सभी समूह को समान रूप से प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है, इसलिए प्रशिक्षण नियमित और जरूरत अनुसार होना चाहिए।

संदर्भ सूची:

1. जीविका समाचार पत्रिका (2023). माह-अगस्त, अंक- 39, पृष्ट स०-1
2. कुमार, राजीव (2019). जीविका परियोजना और ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण: एक विश्लेषण, भारतीय विकास जर्नल, 15(4), 120-135.
3. सिंह, महेन्द्र (2020). स्वयं सहायता समूहों का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: जीविका परियोजना का अध्ययन. महिला विकास एवं समाजशास्त्र समीक्षा, 18(2), 74-90.
4. रानी, सिमा (2022). महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिति में बदलाव: जीविका परियोजना के संदर्भ में. महिला अध्ययन एवं समाजशास्त्र, 25(4), 54-68.
5. सिंह, रजनी रंजन (2007). सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य मे महिला सशक्तिकरण कि व्यस्तविकतायें, परिप्रेक्ष ।
6. बिहार सरकार, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (n. d). जीविका उड़ान, मधेपुरा जिला में जीविका के बढ़ते कदम, पृष्ट स०-51
7. वही सन्दर्भित, पृष्ट स०-15
8. Bihar Rural Livelihoods Promotion Society. MIS dashboard. In MISBOX. Retrieved February 09, 2025, from https://mis.brlps.in
9. बिहार सरकार, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (2011). स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण पुस्तिका विद्या भवन बेली रोड, पटना 800021 पृष्ट स०-54-62
10. बिहार सरकार, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (n, d). जीविका उड़ान, मधेपुरा जिला में जीविका के बढ़ते कदम, पृष्ट स०-15
11. Bihar Rural Livelihoods Promotion Society. MIS dashboard. In MISBOX. Retrieved February 09, 2025, from https://mis.brlps.in
12. Jeevika Bihar government, Transforming Rural Bihar, change Makers October 2017 issue-02 page n- 5
13. Bihar Rural Livelihoods Promotion Society. MIS dashboard. In MISBOX. Retrieved February 09, 2025, from https://mis.brlps.in
14. Jeevika Bihar government, Transforming Rural Bihar, change Makers October 2017 issue-02, page n-05
15. Bihar Rural Livelihoods Promotion Society. MIS dashboard. In MISBOX. Retrieved February 09, 2025, from https://mis.brlps.in